

# ज्ञारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, घनबाद।

पत्रांक:- न०नि०वि०-८ / 2018-

प्रियती ऐका तिनहा  
एडि. श्री दीपल फुजार एवं गन्ध,  
लगवीघन नगर, लालापुरा, घनबाद।

घनबाद, दिनांक:- \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2018

विषय- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०- 139/17-18 सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक- ९. ३. १० के सम्बन्ध में।

महाशय, आपके आवेदन, दलील संख्या- ८३६०, ८७७२ वाखिल खारिज

अभिलेख संख्या- १२७१०/१३-१४, ४४९४५/११-१७ जमादंदी संख्या- १३२३, १०१३ अभिलेख संख्या- १७-१८ की आभेप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य

द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केश नं०- 139/17-18 के नवशे की स्वीकृति प्रदन्य निवेशक, ज्ञारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार घनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निवेशानुसार सूचित करना है कि टाका०प०- १२६ अन्तर्गत खाता नं०- १७ इ०ट नं०- ५२९ रकवा- १५.६७ डॉ० भूमि पर स्वीकृत नवशे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री लैशरी की देख-रेख में कायरम्ब के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कायरम्ब की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नवशे के अनुसार अधिकतम ३ (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रदन्य निवेशक के लिखित पूर्वानुमति के बैगेर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। ज्ञारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीण समय-समय पर वराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नवशे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नवशा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नवशा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्तामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावारण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निवेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा। आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रु०.२२६७०००००१ भाग रु० ७६०००००० का बैंक ड्रफ्ट एवं रु० ३५३५००० का दो पोस्ट डेटेड चेक दिनांक- २३/१०/२०१५ एवं दिनांक- २३/१०/२०२० का जमा किया गया है।

स्ट्रॉकर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या ६० दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

स्वीन्य के निर्माण के दाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लमिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नवशा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजाती में कोई गलत सादित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद समझा जायेगा एवं तदनुसार नवशे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

—  
कार्यपालक अभियन्ता  
नगर निवेशन विभाग,  
झमाडा, घनबाद।

उपांक:- न०नि०वि०/८-२०१८ - ३०८

दिनांक:- ६/११/२०१८

प्रतिलिपि:- श्री लैशरी, लाईसेंसी अभियन्ता, घनबाद।

प्रतिलिपि:- सहायक अभायुक्त, घनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता  
नगर निवेशन विभाग,  
झमाडा, घनबाद।

२०१८  
०६/११/१८